[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.1/2017-एकीकृत कर

नई दिल्ली, 19 जून, 2017 29 ज्येष्ठ 1939, शक

सा.का.िन. (अ) केन्द्रीय सरकार एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 जून, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 14, धारा 20 और धारा 22 के उपबंध लागू होंगे।

[फा.सं-2017/72/349 .जीएसटी]

(डा .श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार